# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 407 / 2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 अमेदाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। | | 1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण 2 वीरवल पुत्र भैराराम 3 चिमू पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर। |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.**

उपस्थिति :–

1. श्री रिणछाराम सियाग, वकील प्रार्थी पक्ष।

## आदेश

दिनांक 26/06/2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 387 / 321 रकवा 7.2600 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467 / 321 रकवा 0.1214 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वक्त खरीद प्रार्थी नाबालिग होने से प्रार्थी के कुदरती वलिया माता के नाम से खरीद की गई थी। वक्त खरीद पंजीबद्ध विक्रय पत्र में प्रार्थी अमेदाराम का नाम टंकणीय भूलवंश अमेदाराम के स्थान पर जगदीश अंकित कर दिया गया तथा उक्त बेचान पत्र के आधार पर नामान्तकरण से राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी का नाम अमेदाराम के स्थान पर जगदीश अंकित कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का दस्तावेज व वास्तविक नाम अमेदाराम पुत्र भैराराम है। उक्त नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी का नाम अंकन होने पर भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी मौजा राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 387 / 321 रकवा 7.2600 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467 / 321 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी अपना दस्तावेजी नाम जगदीश के स्थान पर अमेदाराम पुत्र भैराराम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मौजा राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 387 / 321 रकवा 7.2600 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467 / 321 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में जगदीश के स्थान पर अमेदाराम पुत्र भैराराम शुद्ध करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व / 2025 / 971 दिनांक 16.06.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि प्रार्थी मौजा राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 387 / 321 रकबा 7.2600 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467 / 321 रकवा 0.1214 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र भैराराम नाबालिक संरक्षक चिमू तथा वीरवल पुत्र भैराराम नाबालिग संरक्षक चिमू के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। दोनों प्रार्थी वर्तमान में बालिग है जिसमे जगदीश उर्फ अमेदाराम की जन्म तिथि 15.06.1982 व वीरवल की जन्मतिथि 15.08.1971 रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी जगदीश का वास्तविक नाम अमेदाराम पुत्र भैराराम है जो राजस्व रेकर्ड जमबान्दी में अशुद्ध दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यालय ट्रांसफर प्रमाण पत्र

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

रस्तुत किया जिसे उसका नाम अमेदाराम दर्ज है। प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि ग्राम भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खसरा संख्या 368/22 रकबा 0.6229 हैक्टयर भूमि में भी अमेदाराम दर्ज है। पडौसी मौतबिरान से पूछताछ करने पर जगदीश पुत्र भैराराम व अमेदाराम पुत्र भैराराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया गया। जगदीश पुत्र भैराराम नाम का कोई व्यक्ति नही है। अतः प्रार्थी मौजा राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 387/321 रकबा 7.2600 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467/321 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र भैराराम के स्थान पर अमेदाराम पुत्र भैराराम तथा अमेदाराम उर्फ जगदीश व वीरवल के बालिग होने से उनके नाम के साथ नाबालिग व संरक्षक का नाम हटाये जाने की अभिशंषा की है।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2076–2079 एवं अन्य राजस्व अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी जगदीश का वास्तविक नाम अमेदाराम पुत्र भैराराम है जो राजस्व रेकर्ड जमबान्दी में अशुद्ध दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपना आधार कार्ड, पेन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यालय ट्रांसफर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसे उसका नाम अमेदाराम दर्ज है। प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि ग्राम भांभूओं की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला तहसील बायतु के खसरा संख्या 368/22 रकबा 0.6229 हैक्टयर भूमि में भी अमेदाराम दर्ज है। पडौसी मौतबिरान से पूछताछ करने पर जगदीश पुत्र भैराराम व अमेदाराम पुत्र भैराराम एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया गया। जगदीश पुत्र भैराराम नाम का कोई व्यक्ति नही है। अतः प्रार्थी मौजा राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 387/321 रकबा 7.2600 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467/321 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र भैराराम के स्थान पर अमेदाराम पुत्र भैराराम तथा अमेदाराम उर्फ जगदीश व बीरबल के बालिग होने से उनके नाम के साथ नाबालिग व संरक्षक का नाम हटाये जाने की अभिशंषा की है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा राऊजी की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 387/321 रकबा 7.2600 हैक्टेयर व खसरा संख्या 467/321 रकबा 0.1214 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र भैराराम के स्थान पर अमेदाराम पुत्र भैराराम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है तथा अमेदाराम व वीरवल के बालिग होने से उनके नाम के साथ नाबालिग व संरक्षक का नाम हटाया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/06/24 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर